न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2017
प्रविष्टि दिनांक 07.11.2017

श्रीमति सुमन हरसाना पत्नि शिवप्रताप हरसाना जाति गुर्जर निवासी 6–ए पंचोली विहार श्यामनगर सोडाला जयपुर

.... प्रार्थीया

बनाम

1–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन ईकाई दौसा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,87 गंगाविहार कॉलोनी होटल रावत के पीछे दौसा जिला दौसा राज0
2–भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक राज0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित–(1) श्री विक्रम जैन,अभिभाषक प्रार्थीया
(2) श्री रामअवतार सोनी,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 22.6.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए के निर्माण मे ग्राम श्री रूपपुरा तहसील निवाई की भूमि ख0नं0 100 मे से 563 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर कृषि भूमि की दर से निर्धारित किया गया है। प्रार्थीया 1000 रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड दिनांक 14.10.2016 को निरस्त कर 1000 रूपये प्रतिवर्गगज की दर से भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली दिनांक 14.10.2016 तलब की गई। जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए के निर्माण हेतु भूमि ख0नं0 100 रकबा 563 वर्गमीटर वाके ग्राम श्री रूपपुरा अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात 3 सी के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.–11
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

ध्यान रखते हुये बारानी–2/गै0मु0 आवासीय भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थीया व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा द्वारा प्रार्थीया की भूमि ख0न0 100 मे से 563 वर्गमीटर किस्म जमीन गै0मु0 आवासीय वाके ग्राम श्रीरूपपुरा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 1000 रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से चाहा गया है।

अभिभाषक प्रार्थीया का कथन है कि उक्त भूमि अर्जुन कुमार पुत्र रामप्रसाद कोम बैरवा सा. बाढदेवरी मानसरोवर तहसील सांगानेर की खातेदारी की भूमि थी। खातेदार ने तहसीलदार निवाई के आदेश कमांक 4302–4303 दिनांक 26.09.2014 से उक्त भूमि को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाली थी। उक्त भूमि को प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2015 से अर्जुन कुमार से क्रय की है। अतःप्रार्थीया को उक्त अवाप्त भूमि का 1000 रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से मुआवजा दिलवाया जावे। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई ने प्रार्थीया की आपत्ति भी स्वीकार की है और अवार्ड मे अवाप्त भूमि की किस्म गै0मु0 आवासीय अंकित की गई है। अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही उक्त भूमि का आवासीय संपरिर्वतन हो चुका था।

उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि प्रार्थीया की भूमि कृषि भूमि ना होकर आवासीय भूमि है, जो तहसीलदार निवाई के आदेश दिनांक 4302–4303 दिनांक 26.09.2014 व जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम श्री रूपपुरा तहसील निवाई से सिद्व है। अतः प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई का अवार्ड दिंनाक 14.10.2016 प्रार्थीया की हद तक निरस्त कर, सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण की जांच कर, पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार अवार्ड पारित करे। निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते